posts have been sanctioned from time to time and, since this is an ongoing exercise, the Ministry is in regular touch with the concerned agencies for further increase in posts in view of the sharp increase in the workload in Indian Consular Sections in certain Missions with larger number of Indian nationals working abroad.

Alleged Malpractices in MTNL

951. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to press reports about losses worth crores of rupees every month to the exchequer caused by MTNL by paying overtime allowance and honararium to its sub-ordinate staff;

(b) if so, whether investigations have been made into such malpractices and whether any action has been taken against the officials responsible for these losses; and

(c) the steps being taken to stop such malpractices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since the formation of the MTNL on 01.04.86, the telecommunication network in Delhi has expanded from 3.3 lakh lines to more than 1.1 million as on 31.03.95 i.e. by 242% However, the number of employees has remained almost same. To cope up with the extra work load relating to expansion, operations and maintenance, the staff had to perform work beyond normal duty hours. This had to be compensated by grant of OTA & honararium as per rules. The overtime allowance & honararium are sanctioned by officers incharge depending upon the exigencies of work. The cost of salary & wages which includes, inter-alia, honararium & OTA has decreased from 25.15% in 1986-87 to 14.37% in 1994-95 of the total expenditure of the MTNL.

पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशेष कोष

952. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कोई विशेष कोष बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष से सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

मूल और सैल्यूलर टेलीफोन सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क में कमी

953. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने गैर-सरकारी सैल्यूलर प्रचालकों के लिए किराये और पंजीकरण शुल्क में लगभग 80 प्रतिशत की कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और विभाग के राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या सैल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए वित्तीय बोलियां लगाई जा चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो सफल बोलीदाताओं के नाम क्या हैं और उन्हें कौन-कौन से क्षेत्र आबंटित किये गये हैं; और

(ङ) ये फर्में किन-किन शर्तों पर इन सेवाओं का संचालन करेंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं। "जक्शनों" के किरायों में कोई कमी नहीं की गई है। तथापि, "निजी सैल्यूलर प्रचालकों की जंक्शन लाइनें देने हेतु पंजीकरण शुल्क 15,000/-रुपए से घटाकर, 3,000/-रुपये कर दिया गया है"।

(ख) इससे विभाग के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजीकरण शुल्क, सुविधा मिलते ही, किराये में समायोजित करना होता है।

(ग) जी, हां।